

बिहार सरकार,
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय आदेश

संख्या:- 4/प्रो0-03-101/2023पटना-15, दिनांक.....

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं सम्बद्ध प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय/आयोग के नियमित स्थापना में कार्यरत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नलिखित निम्नवर्गीय लिपिकों को विभागीय अधिसूचना संख्या- 19300 दिनांक- 13.10.2023 (अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023) में निहित शर्तों के आलोक में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद उच्चवर्गीय लिपिक, अपु0 पे बैंड 5200-20200 ग्रेड पे 2400/-, पुनरीक्षित वेतन स्तर- 4 का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र0	निम्नवर्गीय लिपिक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग/कार्यालय
1	2	3
1	श्री उदय कुमार झा, व0क्र0- 01	आयुक्त कार्यालय, सहरसा
2	श्री संजय कुमार, व0क्र0- 02	सामान्य प्रशासन विभाग
3	श्री धर्मेन्द्र कुमार, व0क्र0- 03	सामान्य प्रशासन विभाग
4	श्री रुपेश कुमार, व0क्र0- 04	राज्य निर्वाचन प्राधिकार
5	श्री रवि भूषण प्रसाद, व0क्र0- 05	आयुक्त कार्यालय, पटना
6	सुश्री रूही कुमारी, व0क्र0- 08	सामान्य प्रशासन विभाग
7	श्रीमती संजना प्रिया, व0क्र0- 09	सामान्य प्रशासन विभाग

2. कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।

3. कार्यकारी व्यवस्था की यह प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या- 4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर औपबंधिक रूप से प्रदान की जा रही है।

4. उक्त में प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शिव महादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 4/प्रो0-03-101/2023पटना-15, दिनांक 16-10-23

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन प्राधिकार/आयुक्त के सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना/सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, पटना/सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा- 09/लेखा शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित कर्मी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.10.23
सरकार के अवर सचिव।